न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.– /निग./2013 R-953-II/13

(1) सुजान प्रसाद तनय रामदास यादव उम्र 53 वर्ष निवासी सुजानपुरा ऊगड़ तहसील बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

(2) मुस. गजरा देवी पत्नि मुन्नालाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी सुजानपुरा ऊगड़ तहसील बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ (म.प्र.) — प्रति उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 191/बी/121/2011–12 स्व–पुनरीक्षण 2011–12/173 टीकमगढ़ दिनांक 30–8–2012 एवं प्राप्त आर्डर सीट दिनांक 8–2–2013 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1395/18/भू–अभि./2012 दिनांक 27–7–2012 द्वारा शासकीय पट्टेधारियों द्वारा शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय की गयी, उसका प्रतिवेदन तहसीलदार बल्देवगढ़ से मंगवाकर प्रश्नगत स्व:पुनरीक्षण निगरानीकर्तागणों के विरूद्ध बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किये संस्थित किया, जो कि तथ्यात्मक जानकारियों के अभाव में स्थिर रखने योग्य नहीं है।

(2) यह कि जांच कब और किस दिनांक को तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा की गयी, अभिलेख रिकार्ड से प्रमाणित नहीं है, जबकि मामले की श्रेणी बी–121/2011–12

सुजान प्रसाद 2

...पा पत्नि मुन्नालाल यादव सुजानपुरा ऊगड़ तह. बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 953–दो / 13 जिला– टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 15 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	